संख्याः–4154/नौ–5–19–56सा/2018

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांकः 09 अक्टूबर, 2019**

विषयः– नगर विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित/संचालित परियोजनाओं यथा–पेयजलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन इत्यादि हेतु ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–2776/नौ–5–2011–71सा/2011 दिनांक 17.06.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहर की ओर पलायन, नगरीय यातायात में हो रही दिन प्रतिदिन वृद्धि के कारण शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर बढ़ते दबाव के त्वरित निराकरण हेतु नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग की श्रेणी में रखते हुए नगर विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित/संचालित अवस्थापना सुविधाओं के विकास की परियोजनाओं–पेयजलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन, नगर परिवहन तथा विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं/परियोजनाओं हेतु आगामी 05 वर्ष के लिए राजस्व विभाग द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया था।

2– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 17.06.2011 में प्रदान की गयी समयावधि दिनांक 17.06.2016 को समाप्त होने के उपरांत स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य घटक ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन'' हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्या–818/नौ–5–19–56सा/2018, दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग के श्रेणी में रखते हुए ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन'' के अन्तर्गत सेनेट्री लैण्डफिल साईट के विकास हेतु ग्राम समाज की भूमि राजस्व विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है, परन्तु नगर विकास द्वारा संचालित अन्य जनोपयोगी परियोजनाओं यथा–पेयजलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन इत्यादि हेतु अभी भी भूमि उपलब्ध नही हो पा रही है।

3– पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत ओवरहेड टैंक (ओ0एच0टी0), सी0डब्लू0आर0, ट्यूबेल, इण्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट (डब्लू0टी0पी0) इत्यादि हेतु तथा सीवरेज परियोजनाओं हेतु इण्टरमिडिएट व मेन सीवेज पम्पिंग स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट (एस0टी0पी0) इत्यादि हेतु भूमि की आवश्यकता होती है और नगरीय क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध न होने से इन परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब होता है तथा समय से जनसामान्य को उसका लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता है।

4– वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.02.1977 में ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध ग्राम समाज या अन्य शासकीय भूमि, सेवारत विभाग को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। नगर विकास विभाग का 'सेवारत विभाग' की श्रेणी में नहीं होने के परिणाम–स्वरूप ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध होते हुये भी पेयजलापूर्ति, सीवरेज इत्यादि जनोपयोगी परियोजनाओं हेतु निःशुल्क रूप से भूमि उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

5– उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत पूर्व में नगर विकास विभाग से निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 17.06.2011 एवं 07.03.2019 के अनुसार ही जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन इत्यादि के कारण शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर बढ़ते दबाव के दृष्टिगत नगर विकास विभाग द्वारा कियान्वित/संचालित परियोजनाओं यथा–पेयजलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन इत्यादि हेतु नगर विकास विभाग को ''सेवारत'' विभाग की श्रेणी में रखते हुए ग्राम समाज की भूमि पुनः आगामी 05 वर्ष के लिए राजस्व विभाग द्वारा निःशुल्क रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। इस शासनादेश की वैधता आगामी 05 वर्ष (दिनांक 08.10.2024) तक होगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

9.10.19

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2–प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4–स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
5–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
6–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7–राज्य मिशन निदेशक (अमृत/एस0बी0एम0), नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
8–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9–समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
10–निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
11–निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)।
13–गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

GO-Tiwari-2017